# बिहार सरकार
## ग्रामीण कार्य विभाग
### —::संकल्प::—

/पटना, दिनांक :— 27.1.25

मुंगेर जिलान्तर्गत खड़गपुर–बरियारपुर PWD मुख्य पथ से शामपुर बागेश्वरी ग्राम होते हुए मंझगॉव भगवती स्थान तक पथ निर्माण में अनियमितता के लिए श्री प्रेम शंकर तिवारी तदेन सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, खड़गपुर–तारापुर के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र–'क' गठित कर विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु इनके पैतृक विभाग जल संसाधन विभाग को उपलब्ध कराया गया।

जल संसाधन विभाग द्वारा श्री तिवारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही हेतु निर्गत संकल्प में मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए ग्रामीण कार्य विभाग के किसी सक्षम पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया। तदालोक में सक्षम प्राधिकार के अनुमोदनोपरान्त उक्त मामले में विभागीय कार्यालय आदेश सं0–58–सह–पठित ज्ञापांक 2003 दिनांक 09.07.2019 द्वारा श्री प्रवीण कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया। जल संसाधन विभाग के पत्रांक 136 अनु0 दिनांक 02.02.2021 द्वारा मामले में नियुक्त संचालन पदाधिकारी के पत्र को संलग्न करते हुए यह सूचित किया गया कि ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा नियुक्त/नामित प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी द्वारा विभागीय कार्यवाही में उनके (संचालन पदाधिकारी) द्वारा कई पत्रों द्वारा स्मारित किये जाने के बावजूद न तो सरकार का पक्ष रखा गया और न ही संचालन पदाधिकारी से संपर्क स्थापित किया गया। उपर्युक्त के आलोक में श्री प्रवीण कुमार सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता से विभागीय पत्रांक 912 अनु0 दिनांक 20.07.2021 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गयी।

2. श्री सिंह के पत्रांक 766 दिनांक 24.05.2023 द्वारा अपना स्पष्टीकरण विभाग को समर्पित किया गया। श्री सिंह से प्राप्त स्पष्टीकरण की समीक्षा की गयी तथा समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित नहीं करने एवं सरकार का पक्ष नहीं रखने संबधी आरोपों पर श्री सिंह के विरूद्ध संकल्प ज्ञापांक–2363 दिनांक 02.09.2024 द्वारा लघु दंड के रूप में दो वेतन वृद्धि असंचयात्मक प्रभाव से रोकने का दण्ड अधिरोपित करने किया गया।

3. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध श्री सिंह के पत्रांक शून्य दिनांक 16.10.2024 के द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–23/24(2) के तहत पुनर्विलोकन अर्जी समर्पित किया गया है। समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी के समीक्षोपरान्त स्पष्ट होता है कि श्री सिंह को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किये जाने के आलोक में संचालन पदाधिकारी से लगभग एक वर्ष से अधिक अवधि यथा अगस्त–2020 तक सम्पर्क स्थापित नहीं किया गया। संचालन पदाधिकारी यथा मुख्य अभियंता, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग, भागलपुर के पत्रांक 1118 दिनांक 29.08.2020 द्वारा श्री सिंह को निदेश देने के उपरान्त भी इनके द्वारा संचालन पदाधिकारी से संपर्क स्थापित करने के स्थान पर अपने पत्र दिनांक 11.09.2020 द्वारा विभाग से किन्ही अन्य को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित करने का अनुरोध किया गया। जबकि श्री सिंह का यह

दायित्व था कि विभागीय निदेश के आलोक में सर्वप्रथम संचालन पदाधिकारी से सम्पर्क स्थापित करते एवं इसके उपरांत पदस्थापन संबंधी तथ्यों से विभाग को अवगत कराते। विभाग द्वारा स्पष्टीकरण पूछे जाने के उपरान्त इनके द्वारा कहा गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निर्धारित तिथियों की ससमय जानकारी नहीं मिलने के कारण कुछेक तिथियों पर वे उपस्थित नहीं हो सके। तत्पश्चात स्वयं के प्रयास से संचालन पदाधिकारी से व्यक्तिगत सम्पर्क स्थापित कर विभागीय कार्यवाही में भाग लिया तथा विभाग का पक्ष प्रस्तुत किया।

उपर्युक्त से स्पष्ट है कि श्री सिंह द्वारा विभागीय निदेश की अवहेलना की गयी है एवं स्वेच्छाचारिता बरती गयी है। श्री सिंह के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति उपयुक्त है।

अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री प्रवीण कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–2 का कार्यालय, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अर्जी को अस्वीकृत किया जाता है।

**आदेश–आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाषित किया जाय तथा सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(डा0 फातेह फैयाज)
संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :– 3/अ०प्र०–1–541/2012 928 /पटना, दिनांकः– 27.1.25

**प्रतिलिपि** :– प्रभारी पदाधिकारी, ई० गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार ,पटना को बिहार राजपत्र के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ (आई0टी0 मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के माध्यम से) प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांक :–3/अ०प्र०–1–541/2012 928 /पटना, दिनांकः– 27.1.25

**प्रतिलिपिः**–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/जिला कोषागार पदाधिकारी, पूर्णियाँ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव

ज्ञापांकः— 3/अ०प्र०—1—541/2012 928 /पटना/दिनांकः— 27-1-25

**प्रतिलिपिः**— माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर मुख्य सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव/विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/अभियंता प्रमुख—सह—अपर आयुक्त—सह—विशेष सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के निजी सहायक/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, मुंगेर/पूर्णियाँ, आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रवीण कुमार सिंह, तदेन सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता—2 का कार्यालय, सम्प्रति कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, वायसी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

27/1/25

संयुक्त सचिव